कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/ 21312 /2018–19/91 दिनांक 13-03-2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– राज्य सरकार की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **"राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत"** प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 01 से 12/10 के विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय **(Mentor School)** एवं संदर्भ केन्द्र **(Resource Centre)** के रूप में कार्य करेंगे।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 01 से 8 के विद्यालय) को **"राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत"** चयनित कर इन्हें आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन **(Mentorship)** में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त दोनो प्रकार के विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा:– पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक– बालिकाओं के लिए फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ–साथ आई.सी.टी./ कम्प्यूटर की उपलब्धता इत्यादि प्रदान की जाकर इन्हें **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इन विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु/आधारभूत संरचना की कमी **(Infrastructural Gap)** को दूर करने के लिए जिला स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत इन विद्यालयों के विकास कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करवायी जावे ताकि सरकार के **शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन** के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें :–

1. जिला एवं ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की मासिक बैठक में राज्य सरकार की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता/आधारभूत सुविधाओं की कमी **(Infrastructural Gap)** को दूर करने से संबंधित चर्चा को प्राथमिकता से **मीटिंग एजेण्डा बिन्दु** के रूप में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।
2. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं यथा **MNREGA, DMFT, BADP, TSP, MSDP, MAGRA, DANG, MEWAT, MP/MLA LAD, SFC/FFC** तथा **GPDP** के तहत इन विद्यालयों में निम्नांकित कार्य प्राथमिकता से सम्पादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :–
   - A. पर्याप्त कक्षा–कक्षों की उपलब्धता राज्य सरकार की उक्त विकास योजनाओं के साथ –साथ भामाशाहों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर के माध्यम से सुनिश्चित करवाना।
   - B. बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
   - C. स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाना।
   - D. मिड–डे–मील हेतु रसोईघर का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
   - E. इन विद्यालयों में किचन गार्डन का विकास एवं वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित करवाना।
   - F. इन विद्यालयों में चारदीवारी एवं विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
   - G. शिक्षक आवास का निर्माण करवाना।
   - H. आई.सी.टी./कम्प्यूटर लैब, इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
   - I. इन विद्यालयों में खेल मैदानों हेतु भूमि का आंवटन एवं खेल मैदानों को मनरेगा के तहत विकसित करने की कार्यवाही करवाने के साथ–साथ इनडोर गेम्स को भी बढावा देते हुए पर्याप्त खेलकूद सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

औहिर

www.rajteachers.com

J. बालक–बालिकाओं के लिए फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
K. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास रूम विकसित करवाना।
L. विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने हेतु जन–प्रतिनिधियों, अभिभावकों, आम–जन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाना।
M. कक्षा–बरामदों की दीवारों को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए इन पर विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक सामग्री को प्रदर्शित करवाना ताकि कक्षा–कक्ष विद्यार्थियों के लिए रूचिकर, ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बन सके।

उपर्युक्त समस्त दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/ 21312 /2018–19/ 91 दिनांक 13-03-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/संस्था प्रधान
11. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
13. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
14. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com